

दिनांक: 20/11/2020 को पेश हो।

20/11/2020

पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थी / अनुपस्थित

वकील प्रार्थी को नोटिस पेश करने हेतु बार-बार आदेश दिये जा रहे हैं। उनके वावजूद भी वकील प्रार्थी लम्बे समय से पेश नहीं कर रहे हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना 09R5 CPC के तहत अक्षम पलना में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैलकुलेशन लेकर दायित्व दफ्तर है।

